आर्मी में महिलाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

लेखक- सुशांत सिंह (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

18 फरवरी, 2020

"इस आलेख में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्या निहितार्थ हैं जहाँ उसने पुरुषों के समान ही महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया है? इस मामले में जुड़े मुद्दे क्या-क्या हैं और यह मामला शीर्ष अदालत तक कैसे पहुँचा?"

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लंबे समय से चले आ रहे सरकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए सेना की 10 विभागों में महिला अधिकारियों को हर तरह से उनके पुरुष समकक्षों के साथ शामिल करने का फैसला दिया है। यह मामला 2003 में पहली बार दिल्ली उच्च न्यायालय में महिला अधिकारियों द्वारा दायर किया गया था और 2010 में एक अनुकूल आदेश दिया गया था। लेकिन इस आदेश को कभी लागू नहीं किया गया और सरकार ने ही इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

सेना में महिलाएँ: मामले की पृष्ठभूमि

सेना में महिला अधिकारियों का शामिल होना 1992 में शुरू हुआ था। उन्हें कुछ चुनिंदा धाराओं जैसे कि आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल, इंटेलिजेंस कॉर्प्स और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में पाँच साल के लिए कमीशन दिया गया था। महिला विशेष प्रवेश योजना (WSES) के तहत् आने वाली भर्तियों में उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में पहले से कम प्रशिक्षण अवधि थी, जिन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) योजना के तहत् कमीशन किया गया था।

2006 में, WSES योजना को एसएससी योजना से बदल दिया गया, जिसे महिला अधिकारियों के लिए बढ़ा दिया गया था। उन्हें 10 साल की अवधि के लिए कमीशन दिया गया, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। WSES अधिकारियों की सेवा करने का विकल्प नई एसएससी योजना में स्थानांतरित करने या पूर्व में WSES के तहत् जारी रखने का विकल्प दिया गया था। हालाँकि, उन्हें पहले से निर्दिष्ट विभागों में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।

गौरतलब है कि पुरुष एसएससी अधिकारी 10 साल की सेवा के अंत में स्थायी कमीशन का विकल्प चुन सकते थे, लेकिन यह विकल्प महिला अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, वे किसी भी कमांड नियुक्ति से बाहर रहती थी और सरकारी पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकती थी, जो एक अधिकारी के रूप में सेवा के 20 साल बाद शुरू होता है। नई योजना के तहत् महिला अधिकारियों का पहला बैच 2008 में सेना में प्रवेश किया था।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

क्या है मामला?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर एक बड़ा और अहम फैसला दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है साथ ही कमांड पोस्ट हेतु भी महिलाओं को योग्य बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी आयोग के केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया।
- इस फैसले के बाद सेना में महिलाओं को पुरुष अफसरों से बराबरी का अधिकार मिल गया है। अभी तक सेना में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुष सैनिकों को ही स्थाई कमीशन का विकल्प मिल रहा था, लेकिन महिलाओं को यह अधिकार नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

- न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को महिलाओं के बारे में मानसिकता बदलनी होगी तथा सेना में समानता लानी होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न मिलना परेशान करने वाला तथा अस्वीकार्य है।
- कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमिशन न देना सरकार के पूर्वाग्रह को दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को कमांड पोस्ट पर प्रतिबंध अतार्किक है और समानता के खिलाफ है।

2 प्रमुख तर्क दिए गए

सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों के लिए बड़ी भूमिका के खिलाफ तर्कों को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि यह कानून के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के चलते महिला अफसरों को स्थाई कमीशन नहीं देने की केंद्र की दलील परेशान कर देने वाली है। ऐसी दलीलों को कतई मंजूर नहीं किया जा सकता।

अदालतों में लड़ाई

2003 में, सेना में महिला एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन (PC) देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। मेजर लीना गुरव द्वारा 16 अक्टूबर, 2006 को एक और रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें उस वर्ष के पहले परिपत्रों द्वारा अधिरोपित किए गए सेवा के नियमों और शर्तों को चुनौती दी गयी थी और महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन सुनिश्चित करने की बात कही गयी थी।

सितंबर 2008 में, रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि स्थायी कमीशन को एसएससी महिला अधिकारियों को न्यायाधीश एडवोकेट जनरल (जेएजी) विभाग और सेना शिक्षा कोर (एईसी) में भावी अनुमति दी जाएगी। मेजर संध्या यादव और अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस परिपत्र को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसने स्थायी कमीशन को केवल संभावित रूप से और केवल कुछ ही विशिष्ट विभागों में ही प्रदान किया है।

उच्च न्यायालय ने 2003, 2006 और 2008 की चुनौतियों को एक साथ सुना और 2010 में अपना फैसला सुनाया। जिसमें कहा गया कि एसएससी पर वायु सेना और थल सेना की महिला अधिकारी जिन्होंने स्थायी कमीशन की माँग की थी, लेकिन उन्हें वह दर्जा नहीं दिया गया था, वे बराबर स्थायी कमीशन की हकदार होगी। हालाँकि, यह लाभ केवल सेवा में महिला अधिकारियों को ही उपलब्ध था, जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की थी, और रिट याचिकाओं की लंबित अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो गए थे। जिन महिला अधिकारियों ने स्थायी रूप से कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की थी, उन्हें सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाएगा।

सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और भले ही उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगी थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उन निर्देशों को लागू नहीं किया। जब कार्यवाही चल रही थी, तो सरकार ने फरवरी 2019 में JAG और AEC के अलावा सेना की आठ विभागों में SSC महिला अधिकारियों को PC देने के लिए एक आदेश पारित किया था।

सुनवाई के दौरान, सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई, जिसमें 14 वर्ष तक सेवा देने वाली महिला अधिकारियों को फरवरी 2019 के पत्र के अनुरूप स्थायी कमीशन दिया जाएगा। 14 साल से अधिक सेवा वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए विचार किए बिना 20 साल तक सेवा करने की अनुमति होगी, लेकिन पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होगी और 20 साल से अधिक सेवा वाले लोगों को तुरंत पेंशन लाभ दिया जाएगा।

सरकार को तीन महीने का समय दिया

- सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने अपना फैसला लागू करने हेतु केंद्र सरकार को तीन महीने का समय दिया है। फैसला सुनाने वालों में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी शामिल थे।
- कोर्ट ने कहा कि सेना की सभी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिले, चाहे वो कितने भी समय से कार्यरत हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के साल 2010 के फैसले को बरकरार रखा है।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

- दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2010 में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 02 सितंबर 2011 को भी साफ कर दिया कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगेगी।
- केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के नौ साल बाद फरवरी 2019 में सेना के 10 विभागों में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने की नीति बनाई, लेकिन यह कह दिया कि मार्च 2019 के बाद से सर्विस में आने वाली महिला अफसरों को ही इसका लाभ मिलेगा।

शार्ट सर्विस कमीशन क्यों शुरू किया गया?

- शार्ट सर्विस कमीशन शुरू करने का उद्देश्य अधिकारियों की कमी से जूझ रही सेना की सहायता करना था। इसके अंतर्गत सेना में बीच के स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
- महिला अधिकारियों को सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के द्वारा चौदह साल की नौकरी करने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल रोजगार मिलने की होती है।

10 विभाग, जिनमें महिलाओं को मिलेगा स्थाई कमीशन

- जज एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशन कोर, सिग्नल, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स-मकैनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस और इंटेलिजेंस शामिल है।

आदेश और इसके निहितार्थ

सरकार ने स्थाई कमीशन के आधार पर प्रस्ताव को सही ठहराने, पेंशन लाभ के अनुदान, नीतिगत मुद्दों पर न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ, पेशेवर समस्याएँ, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के कारणों, एसएससी एक सहायक संवर्ग के रूप में और कर्मचारियों की नियुक्तियों में रोजगार के लिए शारीरिक सीमाओं पर युक्तिकरण दलीलें दी।

शीर्ष अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा, सेना में उपलब्धियों और भूमिकाओं को लेकर महिलाओं की क्षमताओं पर संदेह पैदा करना न सिर्फ महिलाओं का, बल्कि सेना का भी अपमान होगा। यह भी कहा गया है कि यह केवल "सेना में समानता लाने मानसिकता में बदलाव पर जोर देने" की आवश्यकता को दर्शाता है।

शीर्ष अदालत ने सशस्त्र सहायता हथियारों और सेवाओं की 10 विभागों में स्थाई कमीशन की मंजूरी के लिए वर्षों की सेवा के आधार पर सभी भेदभावों को दूर किया और इन्हें पुरुष अधिकारियों के समकक्ष लेकर आया। इसने महिला अधिकारियों के उन प्रतिबंधों को भी हटा दिया है जिन्हें केवल कर्मचारियों की नियुक्तियों में सेवा देने की अनुमति दी गई है, जो निर्णय का सबसे महत्त्वपूर्ण और दूरगामी पहलू है।

इसका अर्थ है कि महिला अधिकारी पुरुष अधिकारियों के साथ सभी कमांड अप्वाइंटमेंट के लिए पात्र होंगी, जो उनके लिए उच्च रैंक को और पदोन्नति के लिए नए रास्ते खोलेंगे।

इसका अर्थ यह भी है कि जूनियर रैंक और करियर पाठ्यक्रमों में, महिला अधिकारी समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों में भाग लेंगी, जो उच्च पदोन्नति के लिए आवश्यक हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. महिला आर्मी अधिकारियों के याचिका को सरकार द्वारा दी गई चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट के नवीन फैसले के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सभी सेवारत महिला अधिकारी स्थायी कमीशन के लिए पात्र होंगी।
2. महिला अधिकारी सेना के 15 विभागों में स्थायी कमीशन के लिए पात्र होंगी।
3. महिला अधिकारी अब सभी कमांड पोस्ट के लिए पात्र होंगी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in context of the new decision of the Supreme Court on the objection filed by the government to the petition of women army officers:

1. All serving women officers will be eligible for permanent commission.
2. Women officers will be eligible for permanent commission in 15 departments of the army.
3. Women officers will now be eligible for all command posts.

Which of the above statements is / are correct?

(a) 1 and 2 (b) Only 2

(c) 1 and 3 (d) Only 3

नोट : 17 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. सेना में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष समानता का अधिकार देने का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की व्यावहारिकता का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

Examine the feasibility of the Supreme Court's decision to give women equal rights equivalent to men in the military. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।